Governments agreed to discuss technical, commercial and other issues relating to the sale of electricity by Pakistan to India.

Some of the States of the Northern region face substantial shortage in peak and energy demand which cannot be fully met from internal sources. Therefore, in order to meet, partly, the deficit in the Northern Region, the possibility of import of power from neighbouring countries is being explored. During the discussions, Government of Pakistan confirmed availability of 300 MW of power which can be supplied to India in the next 10 years, which could be augmented upto 600 MW during certain period of the year depending up technical limits of the system on either side. The additional power will improve the grid availability as well as the voltage profile in the Northern Region.

पाकिस्तान से विद्युत खरीदने के लिए वार्ताएं

277. लाला लाजपत रायः
श्री जनेश्वर मिश्रः
कुमारी निर्मला देशपांडेयः
श्री सुरेश कलमाड़ीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत की खरीद के लिये जनवरी में नई दिल्ली में पाकिस्तान के साथ कोई सरकारी स्तर की वार्ताएं हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) पाकिस्तान कितने मैगावाट विद्युत की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ है और उसकी दर क्या है; और

(घ) यह आपूर्ति कब तक शुरू होगी, उस पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी, इससे किन-किन राज्यों को लाभ होगा और क्या पाकिस्तान विद्युत की आपूर्ति अपनी घरेलू दरों पर करेगा तथा क्या उस पर राज्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य और गैर-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विचार-विमर्श के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने अगले दस वर्षों के लिए भारत को निर्यात 300 मे०वा० क्षमता की उपलब्धता की पुष्टि की है जिसे दोनों ओर से प्रणाली की तकनीकी सीमा के आधार पर कुछ समयावधियों के दौरान उपलब्ध के अनुसार 600 मे०वा० तक बढ़ाया जा सकता है। विद्युत के क्रय हेतु टैरिफ दरों और प्रचालन समझौतों के निर्धारण के लिए विधि निश्चित करने पर चर्चा हुई। यद्यपि इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पाकिस्तान से आयात की जाने वाली प्रस्तावित विद्युत से उत्तरी क्षेत्र के राज्य लाभान्वित होंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इसे कमी वाले अन्य क्षेत्रों में अंतरित किया जा सकता है।

नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना

278. श्री गोविन्दराम मिरीः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु हाल ही में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) इन परियोजनाओं को किन-किन राज्यों में स्थापित करने के लिए चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए निजी उपक्रमों को भी निवेश हेतु आमंत्रित किया है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रीः (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): (क) से (घ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में जिन परियोजनाओं को वर्ष 1999-2000 के दौरान क्षमता

अभिवृद्धि हेतु लक्षित किया गया है वे नीचे दी गई हैं:—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	राज्य/संगठन	क्षमता (मे०वा०)	क्षेत्र
1.	फरीदाबाद सीसीजीटी	हरियाणा/एनटीपीसी	2×143	केन्द्रीय
2.	(जीटी-1 और जीटी-2) ऊंचाहार टीपीपी यू-4	उ०प्र०/एनटीपीसी	210	केन्द्रीय
3.	विन्ध्याचल टीपीपी यू-8	म०प्र०/एनटीपीसी	500	केन्द्रीय
4.	कायमकुलम सीसीजीटी	केरल/एनटीपीसी	119.4	केन्द्रीय
5.	संजय गांधी विस्तार	म०प्र०/एमपीईबी	210	राज्य
6.	रायचूर टीपीएस चरण-3 यूनिट-6	कर्नाटक/केपीसीएल	210	राज्य
7.	कोझीकोड यू-1 से 8 में डीजी विद्युत केन्द्र	केरल/केएसईबी	128	राज्य
8.	लीमाकोंग डीजी यूनिट-1 से 6	मणिपुर	36	राज्य
9.	बक्रेश्वर टीपीपी यू-1 वि० 2	प० बंगाल/डब्ल्यूबीपीडीसीएल	2×210	राज्य
10.	सूरत लिग्नाइट यू-2	गुजरात/जीआईपीसीएल	125	निजी क्षेत्र
11.	तोरंगल्लू यू-2	कर्नाटक/जिन्दल	130	निजी क्षेत्र
12.	कोचीन सीसीजीटी जीटी 2 और 3 एसटी	केरल/बीएसईएस	2×45×38	निजी क्षेत्र
जल विद्युत				
13.	दोयांग	नागालैंड/नीपको	50	केन्द्रीय
14.	रंगित-3	सिक्किम/एनएचपीसी	40	केन्द्रीय
15.	सेवा-3	जे० एंड के०	9	राज्य
16.	चेनानी-3	जे० एंड के०	7.5	राज्य
17.	रंजीत सागर	पंजाब	300	राज्य
18.	राजघाट	म०प्र०	45	राज्य
19.	दूधगंगा	महाराष्ट्र	12	राज्य
20.	कोयना चरण-4	महाराष्ट्र	500	राज्य
21.	सिंगुर	आ०प्र०	15	राज्य
22.	काकड़	केरल	50	राज्य
23.	कालीनदी-2	कर्नाटक	40	राज्य
24.	पार्सन वैली	तमिलनाडु	30	राज्य
25.	ऊपरी इन्द्रवती	उड़ीसा	300	राज्य
26.	तीस्ता नदी प्रपात	पश्चिम बंगाल	22.5	राज्य

*जहां तक राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं का संबंध है संबंधित सरकारों द्वारा निधियों का आवश्यक आबंटन किया जाता है। निजी क्षेत्र परियोजनाओं के संबंधित प्राधिकरणों को वित्तीय संस्थानों/स्वयं के संसाधनों से निधियों का प्रबंध करना होगा।